



एल.एस.बघेल

आई.ए.एस.

आयुक्त

दूरभाष 2583653, फ़ैक्स: 283651 निवास: 2431398

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल – 462023

दिनांक: मई, 2007

विषय:—“ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2007 ” हेतु शिक्षकों के प्रस्ताव भेजने बाबत ।

प्रिय श्री

राष्ट्र निर्माता गुरुजनों को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है । एतदर्थ चरित्रवान और उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रस्ताव आमंत्रित हैं । पुरस्कार हेतु केवल उन्हीं शिक्षकों के नाम प्रस्तावित करें, जो सम्पूर्ण निष्ठा के साथ अध्यापन में प्रवृत्त हों तथा उनके सत्कार्यों के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो । जिले में कार्यरत वस्तुतः योग्य एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित होने से केवल इस कारण वंचित नहीं हों कि प्रस्ताव भेजने में संस्था प्रमुखों द्वारा पर्याप्त रूचि नहीं ली गई । अतः इस पत्र को जिले के सभी विद्यालयों में संस्था प्रमुखों को पृष्ठांकित करें ।

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए कक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम 15 वर्ष एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिये न्यूनतम 20 वर्ष की सतत सेवा आवश्यक है । अतः वर्ष 2007 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु उन्हीं शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों / प्राचार्यों के प्रस्ताव भेजे जाएं जिन्होंने दिनांक 31 दिसम्बर 2006 तक उपर्युक्तानुसार अर्हतादायक सेवा पूर्ण कर ली है ।

3. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अध्यापन की कक्षाओं के अनुसार दो श्रेणियों में शिक्षकों का चयन होना है— प्राथमिक एवं माध्यमिक । कक्षा 1 से 8 को प्राथमिक एवं कक्षा 9 से 12 को माध्यमिक विभाग माना गया है । तदनुसार ही पृथक-पृथक श्रेणीवार शिक्षकों के प्रस्तावों पर विचार कर अनुशंसाएं की जाएं ।

4. निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा हेतु विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार हेतु मध्यप्रदेश के लिये एक स्थान आरक्षित है । अतः निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए वास्तविक प्रयास तथा यथार्थ कार्य करने वाले योग्य शिक्षकों के नाम इस श्रेणी में अनुशंसित किए जाएं । शिक्षक द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत एवं सप्रमाण विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जाए तथा प्रमाण स्वरूप अभिलेख भी संलग्न किए जाएं ।

5. इसी प्रकार अरबी, फारसी तथा संस्कृत शिक्षकों हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर पृथक कोटा निर्धारित है । अतः परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं, मदरसों आदि के शिक्षकों के प्रस्ताव भी इन श्रेणियों में भेजे जाएं किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि सामान्य विद्यालयों में उक्त भाषाओं के शिक्षकों के नामों पर सामान्य श्रेणी में अनुशंसा हेतु विचार नहीं किया जाए ।

6. गतवर्ष कतिपय प्रस्ताव जिला चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना प्राप्त हुए । कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला चयन समिति का कार्रवाई विवरण ही नहीं भेजा गया अथवा कार्रवाई विवरण की छायाप्रतियां भेजी गईं । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी अनुशंसित शिक्षकों के प्रस्तावों पर जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा हो तथा निर्धारित स्थान पर जिला चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किये जाएं । कार्रवाई विवरण की मूलप्रति पृथक लिफाफे में भेजें ।

7. जिला चयन समिति की अनुशंसाएं पूर्णतः गोपनीय होना चाहिए । संबंधित शिक्षकों को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उनके नाम अनुशंसित किए गए हैं । विगत वर्षों में इस निर्देश की अवहेलना इस सीमा तक की गई है कि अनुशंसित शिक्षक के हस्ते ही प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । यह स्थिति खेद जनक है । अब ऐसा पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

8. यह भी देखा गया है कि अनुशंसित शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे हुए नहीं होते हैं या गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रतियां भेजी गईं हैं अथवा पांचों वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्तमान में कार्यरत अधिकारी द्वारा ही उन वर्षों के भी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिख दिए गए हैं जिस अवधि में वे कार्यरत नहीं थे । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे गए हों, उन सभी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की मूल प्रति ही भेजी जाए ।

9. कृपया पत्र में निहित तथा संलग्न निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन करते हुए प्रत्येक श्रेणी में जिले के योग्यतम शिक्षकों के प्रस्ताव वाहक के हस्ते डा. ए.के.

मिश्रा,संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के नाम से व्यक्ति हस्ते इस प्रकार भेजे जाएं कि वे उन्हें नियत दिनांक 15 अगस्त 2007 तक अवश्य प्राप्त हो जाए। सभी प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रारूप में ही भेजे जाएं यदि कुछ अन्य विवरण, अभिलेख आदि संलग्न करना आवश्यक समझे जाएं तो प्रपत्र के अंत में उनका उल्लेख करते हुए पृथक खण्ड के रूप में संलग्न किये जा सकते हैं। परिशिष्ट 2 अनुसार अनुशंसित शिक्षक के संबंध में निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जावे जिसे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जावे। परिशिष्ट तीन अनुसार अनुशंसित शिक्षक का जीवन परिचय प्रस्ताव के साथ भेजा जावे तथा तीन पासपोर्ट आकार के फोटो पृथक लिफाफे में भेजा जाए। तदनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से जिला चयन समिति की अनुशंसाएँ 31 जुलाई 2007 तक अनिवार्यतः प्राप्त करें।

10. जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर बिचार कर संभाग स्तरीय चयन समिति को शिक्षको के नाम अनुशंसित करने हेतु जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जिला शिक्षा अधिकारी, | अध्यक्ष |
| (2) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास | सदस्य |
| (3) प्राचार्य, डाईट | सदस्य |
| (4) प्राचार्य, उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) | सदस्य |

इसी प्रकार संभाग स्तरीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी :-

- | | |
|---|---------|
| (1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, | अध्यक्ष |
| (2) संभाग में स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय का प्राचार्य
(संभाग में शास.शिक्षा महाविद्यालय न होने पर निकटतम महाविद्यालय के प्राचार्य) | सदस्य |
| (3) उपायुक्त आदिवासी विकास | सदस्य |
| (4) प्राचार्य, उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) | सदस्य |

11. राष्ट्र निर्माण का महान कार्य करने वाले गुरुजनों की सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित करने की इस योजना की सफलता और सार्थकता चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता में ही निहित है। अतः चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाए। चयन बाबत आवश्यक निर्देश एवं परिशिष्ट 1, 2, 3, संलग्न हैं। इस पत्र की अभिस्वीकृति भिजवाएं।

प्रति,	भवदीय, (एल.एस.बघेल)
श्री.....	
संयुक्त संचालक,	
लोक शिक्षण,	
संभाग.....मध्यप्रदेश	

पृष्ठांकन क्रमांक/ राशिकप्र / रा0पु0/ 9 /07/

भोपाल,दिनांक: मई,

2007

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त,आदिवासी विकास सतपुडा भवन,भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को कृपया समुचित निर्देश प्रसारित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आपके विभाग से भी प्रस्ताव प्राप्त हो सके ।
3. आयुक्त,जन संपर्क संचालनालय,म.प्र. भोपाल ।
4. समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग,मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
7. सचिव,संस्कृत बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. संयुक्त संचालक ,आई.ई.डी.सी. (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अधिकाधिक संख्या में संस्था प्रमुखों से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान के प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित करें ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2007 के लिए शिक्षको के चयन हेतु आवश्यक निर्देश

- 1—राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा नाम प्रस्तावित किये जाते हैं किन्तु अन्तिम चयन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है ।
- 2—शिक्षको के जीवन परिचय, कार्य, विषयो के अध्यापन एवं परीक्षाफल प्रतिशत संबंधी जानकारी सुस्पष्ट और अभिलेख के आधार पर सत्यापित करते हुए ही अंकित की जाए ।
- 3— प्रपत्र में वॉछित सभी जानकारियाँ निर्देशानुसार पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाए । जिन बिन्दुओ पर कोई जानकारी नहीं दी जाना हो वहाँ यथास्थिति निरंक अथवा लागू नहीं लिखा जाना चाहिए । अपूर्ण प्रस्ताव अमान्य कर दिये जायेगे ।
- 4—जिला स्तर पर बिचारण हेतु जिले में स्थित सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलो में कार्यरत शिक्षको के प्रस्ताव संस्था प्रमुखों के माध्यम से आमंत्रित किये जाए । संस्कृत और अरबी फारसी के शिक्षको को भी इसमें शामिल किया जाए ।
- 5—महिला शिक्षको और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षको के प्रस्तावों पर भी बिचार किया जाए ।
- 6—प्रशिक्षण संस्थाओ के शिक्षको के प्रस्ताव बिचारण में नहीं लिये जाए ।
- 7—राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों पर एक साथ बिचारण हेतु जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति की बैठक किसी एक निर्धारित दिनांक को आयोजित की जाए तथा इसमें सभी सदस्य अनिवार्यतः उपस्थित होंगे । प्राप्त सभी प्रस्तावों पर समिति द्वारा वस्तुनिष्ठता के आधार पर बिचार किया जाकर योग्य शिक्षको के नाम तीनो श्रेणियों में पृथक—पृथक अनुशंसित किये जाए ।
- 8—शासकीय, अशासकीय तथा समेकित शिक्षा / परंपरागत पाठशालाओ के लिए श्रेणीवार अनुशंसाएँ कार्रवाई विवरण में निम्नानुसार तीन भागों में की जाए :- भाग (1) में प्राथमिक कक्षाओ (कक्षा 1 से 8 तक) में अध्यापन करने वाले शिक्षको के संबंध में अनुशंसा । भाग (2) में माध्यमिक कक्षाओ (कक्षा 9 से 12 तक) में अध्यापन करने वाले शिक्षको के संबंध में अनुशंसा । भाग (3) में निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले शिक्षको / परंपरागत पाठशालाओ के शिक्षको के संबंध में अनुशंसा । यदि किसी श्रेणी में किसी नाम की अनुशंसा नहीं है तो तदनुसार स्पष्ट उल्लेख कार्रवाई विवरण में किया जाए ।
- 9—अनुशंसित शिक्षको के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके सेवाकाल हर प्रकार से निष्कलंक हो । यदि आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस थाने से भी इसका सत्यापन करा लिया जाए ।

10—यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुशंसित शिक्षक कभी दण्डित नहीं हुआ है , और उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है ।

11—अनुशंसित प्रस्तावों पर जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यों के पदमुद्रा एवं नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए । इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

12—जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति के कार्रवाई विवरण की मूल प्रति एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखकर भेजी जावे ।

13—सभी अनुशंसित शिक्षकों के मूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखे जाए तथा लिफाफे पर तदनुसार उल्लेख किया जाए । वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ कदापि संलग्न नहीं किये जाए । वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।


14—अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रथम मतांकन शाला संचालन समिति सचिव द्वारा तथा द्वितीय मतांकन संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा । सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।

15—सभी प्रस्ताव परिशिष्ट –1,2,3 अनुसार प्रपत्र में ही भेजे जाए । पूर्व वर्षों में तैयार किये गये प्रस्ताव यथावत नहीं भेजे जाए बल्कि पुनः नवीन प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाए ।

16—अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के प्रस्ताव भी परिशिष्ट – 1,2, एवं 3 अनुसार प्रपत्र में ही भेजे जाए । इस विषयक अन्य स्पष्टीकरणों हेतु शासकीय शिक्षकों के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप तदात्मय स्थापित कर विचार किया जाए ।

17—परीक्षाफल प्रतिशत तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के वर्गीकरण के संबंध में संस्था प्रमुख द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि संगत अभिलेखों से अवश्य की जानी चाहिए ।

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश



भाग—क
शिक्षक के विवरण

- 1— नाम (बड़े अक्षरो मे) :.....
- 2— वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री / पुरुष :.....
- 3— पदनाम तथा पिन कोड संख्या सहित.....
स्कूल का पूरा पता
- 4— पिन कोड संख्या सहित पूरा
आवासीय पता.....
- 5— पिन कोड संख्या सहित पूरा :.....
स्थायी पता
- 6— विद्यालय प्राथमिक है या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक :.....
- 7— जिला
- 8— राज्य
- 9— जन्मतिथि
- 10— वर्तमान आयु
- 11— सेवानिवृत्ति की तारीख.....
- 12— यदि सेवानिवृत्त हो चुके है तो संबंधित दस्तावेजो को संलग्न करते हुए बताए कि क्या राज्य प्राधिकारियों द्वारा सेवा मे बिस्तार किया गया है ।.....
.....
- 13— शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तारीख सहित कुल सेवा
- कुल सेवा वर्ष महीना
- शिक्षक के रूप में सेवा
शुरू करने की तारीख

सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम

स्तर-प्राथमिक/
माध्यमिक आदि

प्रबंधन सरकारी / सहायता प्राप्त
या गैर सहायता प्राप्त

1

2

3

कुल
दाखिला

सेवा की अवधि दिनोंक
महीना एवं वर्ष सहित

पढाए गए विषय

पढाई गई कक्षाएँ

4

5

6

7

सार्वजनिक या वार्षिक
परीक्षाओ के परिणम

पूरी की गई कोई
अन्य जिम्मेदारी

8

9

शिक्षण
प्रशासनिक
अन्य

कुल

भाग- ख

- 15- प्राथमिक स्कूल शिक्षको के मामले में स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए तथा कक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? स्कूल और जिले के संबंध में विगत तीन वर्षों के दाखिला / स्कूल में बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी आँकड़े दे ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके ।

.....
.....
.....

- 16- माध्यमिक स्कूल शिक्षको के मामले में विगत पाँच वर्षों में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड़ देने वालों की दर क्या रही है ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कद उठाये हैं ?

.....
.....
.....

- 17- बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय में उत्तीर्ण होने वालों और प्रथम श्रेणी पाने वालों की प्रतिशतता दे ।

.....
.....
.....

- 18- क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है ? यदि हाँ तो विवरण दे ।

.....
.....
.....

19— शिक्षको / प्रधानाध्यापको के मामले में विगत पाँच वर्षों के दौरान कक्षा / स्कूल में अनुशासनहीनता के मामले, यदि कोई हो तो संख्या बताये ।

.....
.....
.....

20— क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को शुरू किया है ? विवरण दें ।

.....
.....
.....

21— निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिये
— क्या वे प्राइवेट शिक्षण देते / देती हैं ?

.....
.....

क्या वे राजनीतिक / ट्रेड यूनियन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते / होती हैं ?

.....
.....

—क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पड़ने के आदि हैं ?

.....
.....

—क्या वे समयनिष्ठ हैं ?

.....
.....

ध्यातव्य सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमान्यता दी जानी चाहिए ।

22— क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षिप्त विवरण दें ।

.....
.....
.....

23— कक्षा के शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित सहायक शिक्षण सामग्रियों के प्रकार क्या हैं ?

.....
.....
.....

24— क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते हैं ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

.....
.....
.....

25— क्या शिक्षक ने किसी सेवाकाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रमो / कार्यशालाओ आदि मे भाग लिया है ? यदि हाँ तो विगत पाँच वर्षो के विवरण दें ।

.....
.....
.....

26— क्या शिक्षक स्कूलो मे सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापो को आयोजित करने मे सक्रिय रूचि लेते है ? विवरण दे ।

.....
.....
.....

27— क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य-पुस्तक आदि लिखी है ? यदि हाँ तो विवरण दे ।

.....
.....
.....

28— क्या विगत 10 वर्षो के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता / पुरस्कार या इनाम मिला है ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

.....
.....
.....

29— उपर अनुल्लिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

.....
.....
.....

भाग – ग

अपने वरिष्ठ शिक्षको के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक के बारे में टिप्पणी

30— क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?

.....
.....
.....

31— क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने में सक्षम हैं ?

.....
.....
.....

32— क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध बनाये रखते हैं ?

.....
.....
.....

33— क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओं – पिताओं द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है

.....
.....
.....

34— अभिभावक – शिक्षक संघ के कार्यक्रमों आदि यदि कोई हों, में शिक्षक की क्या सहभागिता है ?

.....
.....
.....

35— संस्था के प्रधान द्वारा सामान्य मूल्यांकन

.....
.....
.....

36— जिला स्कूल निरीक्षक / शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान्य मूल्यांकन दाखिला

.....
.....
.....

//जिला चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
जिला चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
अध्यक्ष
जिला चयन समिति

//संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति

(नाम-----)

नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
अध्यक्ष
संभाग स्तरीय चयन समिति

परिशिष्ट – दो

अनुशंसित शिक्षक के संबंध में निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2007 के लिए अनुशंसित शिक्षक श्री / सुश्री श्रीमती पदनाम
विद्यालय स्थान
जिला..... के संबंध में मैंने व्यक्तिशः पुष्टि कर ली है, कि उसके विषय में ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है जिसके कारण वे पुरस्कार देने के लिए अनुपयुक्त हो। विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1- अनुशंसित शिक्षक कभी भी किसी विभागीय या आपराधिक कार्रवाई में दण्डित नहीं हुए हैं और उनके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई वर्तमान में भी लंबित नहीं है।
- 2- अनुशंसित शिक्षक के विरुद्ध अन्य किसी प्रकार की कोई जाँच भी प्रचलित नहीं है।
- 3- अनुशंसित शिक्षक के विरुद्ध कोई पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।
- 4- अनुशंसित शिक्षक का रिकार्ड तथा पूर्ववृत्त पूर्णतः निष्कलंक है।
- 5- अनुशंसित शिक्षक का सेवाकाल सतत है अर्थात् बीच में सेवा ब्रेक नहीं हुई है।

(नाम -----)

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट – तीन

अनुशंसित शिक्षक का संक्षिप्त जीवन वृत्त

यह लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर वर्णनात्मक जानकारी स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से दी जानी चाहिए :-

1. जन्मस्थान तथा जन्मतिथि।
2. शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण तथा अर्जित विशिष्ट उपलब्धियाँ पुरस्कार आदि
3. शिक्षक के रूप में किये गये नवाचार तथा अन्य उल्लेखनीय विशिष्ट उपलब्धियाँ
4. नागरिक के रूप में सामाजिक जीवन में विशिष्ट योगदान